KUMARI MAMATA BANERJEE: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Now, we will take up further discussion on the Resolution moved by Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy on the 4th August, 2000. Shri S. Viduthalai Virumbi to continue his speech.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS - MEASURES TO CONTROL POPULATION GROWTH -- Contd.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, a fortnight back, when I was speaking on the population policy, I had to abruptly discontinue my speech because of shortage of time. At that time, I was dealing with the global situation. Instead of going through all these things, for the last five decades, we have been thinking in this country as to which is the best contraceptive. In this cônnection, I would like to say that we felt that development is the best contraceptive. But the question is whether the prevalent rates of contraceptives are comparable. We can compare it with China because they have also more than one billion population. We have reached that mark on May 11 this year. Sir, as per the study made by the International Institute of Population Studies regarding national family health survey, the prevalent rates of contraceptives in India stand at 43 per cent, while in China it is 83 per cent. Then what is the appropriate contraceptive rate prevalent now which has been determined by the United Nations for the Indian Sub - Continent? They say that the rate of 65 per cent is appropriate. Therefore, there is a big gap between the appropriate CPR and the actual achievement of CPR. Therefore, we have to go a long way. By 2050, India will surpass China in respect of population. If the programme, as envisaged by them, is implemented, they will be 168 crores, while our population would increase from 100 crores to 175 crores.

Sir, in this, who will play the maximum part? Number one, Bihar; number two, U.P.; number three, Madhya Pradesh; number four, Rajasthan. Apart from them, there will be Orissa. These States totally account for 44 per cent of the total population of the Indian Sub-Continent. They are going

to contribute, within two decades, 55 per cent of the total increase in population. That is what we are envisaging today. Now we are able to undestand where the problem lies and we are also able to identify the area on which we have to concentrate. That is number two. Sir, according to Dr. M.S. Swaminathan, when he addressed the George Simon Memorial Lecture under the title "Children for happiness, key to population stabilisation", population stabilisation is a human development index. As on date, we stand as the 132nd nation amongst the 174 nations. Life expectancy, literacy, per capita income, these are the components to find out where we stand. Where can we go forward from this? That is the question. He believes that from the position of 132nd, we can go to the 50th within ten years. In that case, what we have to do is, we have to reduce our infant mortality rate. The life expectancy is increased by ten years. We have to reduce the infant mortality rate by two-thirds of what is prevailing. According to Dr. Swaminathan, we can increase our LCI rank from 132nd to the 50th among the comity of nations. For that, what is actually coming in the way? Let us see the fall in birth rate and the fall in death rate, both put together. The death rate fell from 25.1 per thousand in 1951 to 9.8 per thousand in 1991. The birth rate fell from 40.8 per thousand in 1951 to 29.5 per thousand in 1991. See the speed at which these rates fell. There is a difference between the fall in death rate and the fall in birth rate. We cannot concentrate only on one particular area. What I feel, Sir, is we have to concentrate on reducing the birth rate further. Why do we have to concentrate on reducing the birth rate further? In case we do not concentrate on reducing the birth rate further, what will be the consequences that we have to face? I quote from the *Business Standard* of 24th February, 2000:

> "The total impact would be that the demand for fresh water would go up from 564 bcm (billion cubic metres) in the base year 1947 to 1,048 bcm in 2047. In this, the share of irrigation demand would marginally go down from 96 per cent in 1947 to 94 per cent in 2047. But the available fresh water in the western plains and Kutch, northern plains and Bengal and Assam plains would be less than 75 per cent of the demand. Thus, the stress on water resources will increase.
>
> Similarly, the total demand for coal, according to the study, will increase from 306 million tonnes in 1997 to 1,372 million tonnes in 2047. The demand for oil will increase from 85 million tonnes to

790 million tonnes. For gas, this will go up from 19 bcm to 482 bcm. For coal, iron and aluminium, additional land would be required."

I think the research has been done by the Tata Energy Research Institute. If we fail to contain the population, we may have to face these problems. A conference held in the Netherlands recently had identified six States in the sub-continent where there would be water scarcity after five decades. One of them is Tamil Nadu. When this is so, how do we go about it? I will tell you how. Some of the States have succeeded in population control. I quote from the M.P. CHRONICLE, Bhopal:

"One reason why States like Gujarat, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka have succeeded in reducing their fertility rates is the creation of awareness in women about the health concerns and immunisation through TV and health education programmes. Yet, the pity is that the change in women's perception is yet to be matched by the availability of corresponding health services even in these States except in Tamil Nadu."

That *means they care for health control and family planning.* The words "family planning". were coined in 1976. In 1977, the Morarji regime rechristened it as "family welfare". Indira Gandhi said that in case the population decreases because of the successful implementation of the family welfare programmes, the strength of Members of Parliament would not be reduced and it would be decided on the basis of the 1971 Census. This assurance that the 1971 Census would be the basis was given by Indira Gandhi. The Swaminathan Committee also recommended that the present strength of the Members could be continued till 1911 on the basis of the 1971 Census. The present Government has assured that the present strength of the Members will continue up to 2025 on the basis of the 1971 Census. This is a welcome step from this Government. But what we feel is this. Because of our good performance on the economic front, we have suffered at the hands of the Eleventh Finance Commission. When we succeeded in the family planning programme, the number of Members from Tamil Nadu was reduced from 41 to 39. What I say is that it should not be on the basis of the 1971 Census. It should be reverted back. The status quo ante should be restored and the number of Members should be

4.00 P.M.

increased from 39 to 41. Then only have the people confidence that, if they implement the family planning and family welfare policies in a successful manner, neither the number of Members nor the allocations to the States will be affected. Such an assurance should be given by the Central Government. How we can achieve that, is another question. We have to face it. The Swaminathan Committee has clearly stated how we can achieve this. Recommending a restructuring of the Ministry of Health and Family Welfare, the Swaminathan Committee observed, and I quote from THE TRIBUNE, Chandigarh, of the 21st February:

"The principles of integration and decentralisation..."

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): Are you reading from the report of the Swaminathan Committee or from a newspaper report?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: This is a newspaper report. This is mentioned in THE TRIBUNE, Chandigarh. The matter which I am quoting is exactly part and parcel of the report of the Swaminathan Committee. I quote:

> "The principles of integration and decentralisation envisaged in the policy call for a restructuring of the Ministry of Health and Family Welfare. The target-oriented approach of a Centrally-sponsored/vertical programme has to yield place for people-oriented decentralised approach."

The sentence that a Centrally-sponsored/vertical programme has to yield place for people-oreinted decentralised approach is important.

> "There will be one health-care approach to maternal and child health and family planning as well as other Centrally-sponsored programmes."

The crux of the issue is policy-making, decentralisation and implementation.

Where does the fault lie? We have been following the same set of measures for the last five decades. The fault lies here. I feel that it should be left to the States. Why? In 1951, our population was 36 crores and in

1971, our population was 55 crores. So there was an increase of 2.24 per cent. If we compare our growth rate of population and the growth rate of workforce during the last two decades with the growth rate of population and growth rate of workforce in China, we find one difference, i.e. the growth rate of workforce is actually more than the growth rate of population. This is because in the last two decades we have failed to contain the population. That is why we have been suffering. We have to see that things like health, education and other basic things are improved. For improving these things, the *per capita* income has to be improved. For improving the *per capita* income, investment is essential. If investment is essential, savings become essential. If there is less investment, there will be less production. Less production means less income. If we have less income, there will be less saving. If our saving is less, there will be less production. Less production means less income. Less income means less savings. It is a vicious circle. So to contain this vicious circle, we need to control our population. Therefore, our development depends upon the population control and population control depends upon development. Both these things are interlinked. They cannot be separated. Therefore, we have to concentrate on both development and population control. Then only we will succeed. With these words, I conclude.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध हमारे देश के विकास से है । हमारे देश की आबादी का अबाध गति से बढ़ना निस्संदेह हम सबके लिए बहुत चिंतनीय विषय है और हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसकी भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है, वह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.5 प्रतिशत है और हमारी जो जनसंख्या है, वह विश्व की कुल आबादी का 16 प्रतिशत है । यानी एक तरफ तो ग्लोबल लैंड में भारत का हिस्सा 2.5 प्रतिशत है और दूसरी तरफ भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 1/6वां हिस्सा है । यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत चौंकाने वाली बात है । महोदय, जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं का जिक्र करते हैं और उसका अनुमान लगाते हैं तो एक विशेषज्ञ के अनुसार हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, यदि यह वर्तमान गति से बढ़ती रही तो उसके लिए हर वर्ष 1,27,000 नए स्कूल्स चाहिए, 3,76,000 स्कूल शिक्षक चाहिए, 25 लाख नए घर चाहिए, 40 लाख नयी नौकरियां चाहिए, 19 करोड़ मीटर कपड़ा चाहिए और एक करोड़ पच्चीस लाख क्विंटल खाद्यान्न चाहिए जो पूरा करना असंभव है। महोदय, मई के महीने में हमारी जनसंख्या एक अरब पार कर गई है । स्थिति यह है कि हमारे देश में प्रति मिनिट 29 बच्चे पैदा हो रहे हैं, प्रतिदिन 42,436 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और प्रति वर्ष एक आस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, यानी एक करोड़ 55 लाख से ज्यादा बच्चे हम एक वर्ष में पैदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब हमारे देश के बारे में यह कल्पना की जाती है कि हमारा देश एक विकसित देश हो और जब हम विकसित देश अमेरिका की तरफ निहारते हैं तो हम पाते हैं कि अमेरिका की जमीन यद्यपि भारत से तीन गुना ज्यादा है लेकिन वहां की जो

जनसंख्या है वह भारत से एक तिहाई है। मान्यवर, अमेरिका में एक वर्ग किलोमीटर में 18 व्यक्ति रहते हैं जबकि शहरी भारत में एक वर्ग किलोमीटर में 7000 लोग रहते नहीं हैं बल्कि उनका दम घुटता है। यह स्थिति हमारे भारतवर्ष की है। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि आखिर यह स्थिति क्यों निर्मित हुई और इसके लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है और यह विचार करना केवल सरकार का ही काम नहीं है कि हम सरकार पर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ दें बल्कि यह विचारणीय बात पूरे देश के नागरिकों के लिए है क्योंकि जब मैंने अपनी बात प्रारम्भ की थी तो यह कहा था कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का संबंध देश के विकास से है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश के एक ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री जो स्वयं चिकित्सक हैं उनके दौर में नेशनल पोपुलेशन पॉलिसी लाई गई और उसमें बहुत कुछ बातों का उल्लेख किया गया।

मान्यवर, जो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है जब हम उस पर गौर करते हैं तो उसकी तह में पाते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या इसका एक प्रमुख कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के क्या-क्या और परिणाम किन-किन क्षेत्रों में हो रहे हैं जब हम उन पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि वह एक बहुत लम्बी-चौड़ी फेहरिश्त है, बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट है जिस पर हमको गौर करना पड़ेगा। हम जब अपने भारत के बारे में विचार करते हैं कि हमारा भारत देश समृद्ध देश हो तो हमको विचार करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे इस नारे को -- 'नियोजित परिवार सुख का आधार' एक मूर्त्त रूप मिल सकता है। एक समय ऐसा था जो दौर संजय गांधी जी का था। उस समय -- 'नियोजित परिवार सुख का आधार' ऐसा नारा था कि लोगों ने इस आवश्यकता का अहसास किया था कि एक परिवार में दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन उस समय उसको एक दूसरा रूप दे दिया गया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज जब जनसंख्या के विस्फोट और उसके समाधान के बारे में हम विचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको संजय गांधी जी की और उनके उस पांच सूत्रीय कार्यक्रम की याद आती है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या की स्थिति यह है कि एक परिवार में लोग ज्यादा बच्चे तो पैदा कर देते हैं, सोचते हैं कि काम बंटेगा, कमाई ज्यादा होगी, कीमत ज्यादा होगी। कीमत से मेरा आशय राजनीतिक कीमत से है। उसके लिए दोषी हम राजनीतिक भी हैं क्योंकि हम उस परिवार की तरफ ज्यादा गौर करते हैं, उस मोहल्ले की तरफ ज्यादा गौर करतें हैं जहां ज्यादा मत देने वाले लोग होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सिंहावलोकन हमें अपने आप पर भी करना पड़ेगा कि आखिर गरीब तो ज्यादा कमाई के लालच में, उसे ज्यादा काम मिले इस लालच में ज्यादा बच्चे पैदा करता है लेकिन हम राजनीतिज्ञ भी उसे इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं कि घर में ज्यादा सदस्य होने से, उसकी वजह से उस परिवार का जो नारकीय जीवन होता है बल्कि पशुवत जीवन होता है उससे बचने का उपाय यह है कि घर में एक या दो बच्चे ही एक परिवार में हों, इसके लिए हम लोगों को प्रेरित करें। जब हम विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश चीन की तरफ गौर करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चीन ने तीस वर्ष पहले एक परिवार में एक ही शिशु हो इस बात पर जोर दिया और वहां के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर दिया वरना वहां भी यही स्थिति होती। चीन 40 साल पहले एक विकसित देश के रूप में कई मामलों में नहीं माना जाता था जबकि हम कई मामलों में उस देश की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि चीन हमसे कई क्षेत्रों में काफी आगे पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है उस देश ने जनसंख्या नियंत्रण पर गौर किया है। प्रश्न इस बात का पैदा होता है कि क्या कोई कठोर कानूनी प्रावधान किया जाए जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण की बात करते हैं?

महोदय, मैं सोचता हूं कि उसके लिए हम एक जन वातावरण तैयार करें। कई बार धर्म और धार्मिक नेताओं की आड़ में लोग इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देते हैं। हमारे यहां लोगों को सही धार्मिक जानकारी दी जानी चाहिए और इसमें धार्मिक नेताओं का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। सोशल आर्गनाइजेशन्स का सहयोग भी हमें लेना चाहिए, एनजीओज का सहयोग भी लेना चाहिए और इसके साथ ही साथ जिन परिवारों में इस नीति का परिपालन पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है उन परिवारों के लिए हमें विशेष सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। हमें इसकी शुरूआत कहीं न कहीं से तो करनी पड़ेगी। इसकी शुरूआत हमें राजनीतिज्ञों से करनी पड़ेगी। जब हम इस पवित्र सदन में इसकी चर्चा कर रहे हैं तो यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस राजनीतिज्ञ को महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलना चाहिए जिसका इस पापुलेशन पालिसी के इंट्रोडक्शन के बाद दो से अधिक बच्चे पैदा हों। उन अधिकारियों को प्रमोशन में वरीयता नहीं दी जानी चाहिए जिन शासकीय अधिकारियों के दो से अधिक बच्चे हो जाते हैं। समय कम है और माननीय प्रधान मंत्री जी को इस संबंध में बोलने के लिए आना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... पोलिटिशयन्स को तो हमारे प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए कि उनका जनसंख्या वृद्धि में कोई योगदान नहीं रहा है।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम इस पर विचार करें कि हम आदर्श परिवार को कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं। हम इसके बारे में विचार करें कि राजनेताओं से प्रारम्भ होकर शासकीय अधिकारियों और उसके बाद जो सम्पन्न और विपन्न लोग हैं उन पर कठोरता से इस नीति का पालन कैसे करें और उसके बाद हम निर्धन वर्ग की तरफ अपनी नजर दौड़ाएं। स्थिति यह होती है कि जो बढ़ती हुई आबादी है, जैसे मैंने वह आंकड़े बताये थे, उसका परिणाम यह होता है कि लोगों को छत की सुविधा नहीं मिल पाती है, आवास सुविधा की तो क्या कहें, वह खुले आसमान की छत के नीचे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें खाने के लिए निवाला नहीं मिल पाता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल पाता है, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। ये सारी चीजें जनसंख्या नियंत्रण से होंगी, इसके लिए हमें अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा। जब मैं अपनी बात कह रहा था तो मैंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं डाक्टर हैं तो वह यह देखें कि इसकी तह में क्या कारण हैं। इसकी तह में यदि सबसे बड़ा कोई कारण है तो बीमारी है। मैं एक माननीय सदस्य को सुन रहा था, जो कह रहे थे कि हमारी शिशु मृत्यु दर है उस पर हमें गौर करना चाहिए। कई बार स्थिति यह होती है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि उनके घर में बालक या बालिका हो, लेकिन उन्हें इतना विश्वास नहीं रह पाता है कि वह जीवित रह पायेगा या नहीं। इसलिए उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। ऐसी चिकित्सा सुविधा हमें विकसित करनी पड़ेगी जिससे वह परिवार के लोग जो ऊहापोह की स्थिति में होते हैं और लालच की वजह से एक के बजाय दो और दो के बजाय तीन बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, उस स्थिति से वे निकल पाएं । इसलिए मैं जब यह कहता हूं कि हमें इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए तो उसके पीछे मेरा मकसद यह रहता है कि जनसंख्या नियंत्रण तो हम चाहते हैं लेकिन क्या हम परिवार नियोजन भी चाहते हैं, इस पर हम विचार करें। हम इस बात पर विचार करें कि फैमिली प्लानिंग के माध्यम से क्या हम पापूलेशन कंट्रोल चाहते हैं या पापूलेशन कंट्रोल के माध्यम से हम फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं क्योंकि इस मंत्रालय का नाम अब आपने "परिवार कल्याण मंत्रालय" रखा है तो इस मंत्रालय का जो नामकरण आपने किया है, वह अपने नाम पर हर कसौटी पर खरा उतरे, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नारी का मातृत्व रहे, पिता का पितृत्व बरकरार रहे, यह भी

सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । वरना हम एक तरफ तो गर्भ निरोधक की बात करते हैं, अलग-अलग ऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन किसी परिवार में जब एक पुत्र ही रहता है और वह जीवित नहीं रह पाता है तब उस परिवार की बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो जाती है । इसलिए हम केवल ऐलोपैथिक ट्रीटमेंट पर ही आधारित न रहें, और भी जो हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो हमारे देश की चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वह आयुर्वेदिक हो या यूनानी या अन्य कोई चिकित्सा पद्धति हो, परिवार नियोजन के लिए उसका भी हम परिपालन करें, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण हमारे यहां का कार्यक्रम है, हमारे यहां का अभियान है, इसके साथ साथ यह हमारे यहां एक ऐसा लचीला कानून बने, मैं जानबूझकर लचीला कह रहा हूं, मैं कठोर कानून का जिक्र नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा लचीला न पालन करने योग्य कानून बने जिस कानून का परिपालन हर कुटुम्ब के लोग कर सकें, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तभी हम कह पाएंगे कि हम आदर्श परिवार को सही ढंग से परिभाषित कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त लोगों के मन में जो बेटा और बेटी के संबंध में बात आ जाती है, उसमें न बेटे को ज्यादा महत्व दिया जाए और न बेटी को तिरस्कृत नजरों से देखा जाए बल्कि उन दोनों को केवल 'संतान' समझा जाए, इस बात पर गौर करना जरूरी है । मान्यवर, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं तीन-चार बातों का ही उल्लेख करना चाहूंगा । जो नेशनल पापूलेशन पॉलिसी आपने बनायी है, उसका यदि सही ढंग से परिपालन होता है तो हमारे देश में अभी जो जनसंख्या सौ करोड़ है, ऐसा अनुमान है कि 2010 तक वह 110 करोड़ हो जाएगी लेकिन यदि परिपालन नहीं हो पाता है तो वह जनसंख्या 116 करोड़ हो जाएगी । यह अपने आपमें बहुत गंभीर संकेत है। इसलिए जिस भावना से आपने इस नेश्नल पॉलिसी को बनाया है, उसका सही ढंग से परिपालन हो, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है । जहां तक बर्थ रेट की बात है, जहां तक इनफैंट मॉरटैलिटी रेट की बात है, उस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि 1997 में जो बर्थ रेट 27.2 प्रतिशत था, वह 1998 में घटकर 26.4 प्रतिशत हो गया है । इसी प्रकार टोटल फरटैलिटी रेट भी 3.3 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गया है । ये निश्चित रूप से ऐसे आंकड़े हैं, जिन पर हमको और आगे बढ़कर विचार करना पड़ेगा । हिन्दुस्तान के नक्शे पर जब हम गौर करते हैं तो हमारे देश के केवल पांच राज्य - मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे हैं जिनमें हमारे देश की कुल जनसंख्या का 44 प्रतिशत भाग रहता है इसलिए इन पांच राज्यों में हमें बहुत ज्यादा वरीयता के आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे नहीं तो इस जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम पर अंकुश लगाना, मैं समझता हूं कि बहुत नामुमकिन है । महोदय, जब अपने देश की तुलना हम एशिया के अन्य देशों से करते हैं और मैटरनल मॉरटैलिटी रेशियो का जब हम जिक्र करते हैं तो जो अन्य देश हैं, श्रीलंका, चाइना, थाइलैंड, पाकिस्तान और इंडोनेशिया - इन पांच देशों का जो मैटरनल मॉरटैलिटी रेट है, उसकी तुलना में हमारे देश का काफी ज्यादा है - 437 है। जबकि चाइना का 115 है, पाकिस्तान का 340 है और इंडोनेशिया का 390 है। यह भी अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं ।

मान्यवर, इसी प्रकार से जो इन्फैंट मॉर्टेलिटी रेट है, एशिया के जो देश हैं, जब हम उन पर गौर करते हैं तो उनके अनुपात में भी भारत का जो नंबर है, वह श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना और इंडोनेशिया से काफी ज्यादा है, 72 है । तो निश्चित रूप से इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है । अभी जो बात मैंने कही थी कि "बेटा"/"बेटी" शब्द पर गौर न करके हम "संतान" शब्द पर गौर करे क्योंकि हमारे यहां जो सैक्स रेशियो है सन् 1901-1991 तक फीमेल और मेल का, वह फीमेल का 972 है और मेल का 927 है । इस रेशियो पर गौर करते हुए कई बार लोगों की

इच्छा होती है कि केवल बेटे का ही जन्म हो और लोग अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं कि बेटी के जन्म को वे उतना शुभ नहीं मानते हैं तो ऐसा वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है । मुझे प्रसन्नता है कि समय-समय पर जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने इस जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को वरीयता तो दी लेकिन जो अनुकूल परिणाम निकलने थे, वे अनुकूल परिणाम निकल नहीं पाए क्योंकि हमारे भारत में 1951 से 1961 तक जो ग्रोथ रेट 1.96 प्रतिशत था, वह 1998 में घटकर 1.74 प्रतिशत हुआ है । बर्थ रेट जो 1951 से 1961 के बीच में 41.7 था, वह 1998 में घटकर 26.4 प्रतिशत हुआ है । डेथ रेट और इन्फैंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है लेकिन इसमें और कमी आए, इस बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है । यद्यपि मंत्रालय की तरफ से कई फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों को और प्रोत्साहित किया जाना बहुत ज़रूरी है । चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के लिए और भी उचित राशि दी जानी आवश्यक है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि जो इन्फैंट मॉर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है और क्रूड बर्थ रेट हैं, इन रेट्स में लगातार कमी आए ताकि हम जनसंख्या नियंत्रण पर किसी न किसी रूप में अंकुश लगा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज यह जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त करने संबंधी जो प्रस्ताव आया है, इसका मैं समर्थन करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि समय रहते यह सरकार समुचित कदम उठाएगी और उस कदम का यह प्रतिफल होगा कि हमारा भारत देश और हमारे भारतवासी उन सब सुविधाओं को अर्जित कर पाएंगे जिन सुविधाओं को अर्जित करने का उन्हें हक है ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम जिस भारत देश के वासी हैं वह भारत देश समृद्ध देश है, धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन.चतुर्वेदी) : धन्यवाद पचौरी जी । श्री बचनी लेखराज ।

श्री लेखराज बचानी (गुजरात) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के फेवर में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। वैसे देखें तो सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में फरवरी माह में जो निर्णय किया और उसके बाद जो एक्शन प्लान बनाया, वैसे तो यह बहुत अच्छा प्रयास है और एक्शन प्लान में कई बातें कही गई हैं लेकिन वह एक्शन प्लान कैसे इंप्लिमेंट होगा, यह देखना होगा। महोदय, एक बात देखने की यह है कि बहुत से वक्ताओं ने, ऑनरेबल मैम्बर्स ने जो भी बातें कहीं, एक बात कहने में सभी ऑनरेबल मैम्बर्स हिचकिचाए, बात क्लीयर क्यों नहीं कहते हैं? सब कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, अलार्मिंग है, डेंजरस है लेकिन पचास साल तक हमने देखा, 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना देखी, तब से लेकर लगातार इस बारे में चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है लेकिन परिणाम क्या है? क्यों गरीबी है? क्यों भुखमरी है, क्यों बेरोजगारी है और क्यों भ्रष्टाचार है, क्यों गुनाहखोरी है और क्यों सोशल अनरेस्ट है? इन सब बातों के कारण अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और यही इसका मेन कारण है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने पॉलिसी तय की है। हमने पढ़ा और देखा है कि 1952 से लेकर आज तक जो-जो निवेदन आए हैं उनमे जो मेजर्स प्रपोज किए गए हैं, वे सब वालयंट्री हैं। इसी वालयंट्री में आपने देखा कि 50 वर्षों में क्या हुआ? 50 वर्षों में कुछ नहीं हो सका। आप अवेयरनेस की बात करते हैं, इंसेंटिव की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं। लेकिन जो कुछ फाइव ईयर प्लान में खर्च कर रहे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं उन गरीबों को आगे लाने के लिए, उनके विकास के लिए खर्च करते हैं। लेकिन उसी सैक्शन में आपने देखा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में जो निर्णय लेना चाहिए, मेजर्स लेना चाहिए which are those sections which are adopting these measures, you have to identify those sections first जिसके लिए

बहुत चिंता करते हैं, जिसके लिए आपने 50 वर्षों में अरबों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन वहां जितनी अवेयरनेस आनी चाहिए उतनी अवेयरनेस नहीं आई है, डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। वही बात हो रही है "ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल।" जो नई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको अगर पहले की पॉलिसी से कम्पेयर करें तो केवल इतना ही फर्क पाएंगे कि इस वक्त सरकार ने इस बारे में बहुत जोर दिया है। बहुत सी बातें एक्शन प्लान में ली हैं लेकिन जब तक कुछ कम्प्लशन नहीं होगी हम भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ रोकने में, रिड्यूज करने में सफल नही हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि "Where is the political will?" अपने मैम्बर्स भी स्पष्ट शब्दों में कुछ कम्पलसरी मैजर्स के लिए, कुछ इंसेंटिव के लिए, कुछ डिसइंसेंटिव के लिए कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ फंड्स, सिर्फ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, यह सब कुछ हमने देखा है। अपना 50 वर्षों का अनुभव देकर हमें एक स्पष्ट निर्णय देना चाहिए। अगर यह सब कबूल करते हैं कि हिन्दुस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रोका नहीं जा रहा हो तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, आदरणीय महोदय, "व्हाई नॉट पॉपुलेशन कन्ट्रोल लेजिस्लेशन", कैसे इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव लाएंगे।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** पीठासीन हुए।]

मेरा पहला सुझाव यह है कि अगर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को सफल बनाना है तो अपने को इस देश में लेजिसलेशन लाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं कि स्ट्रिक्ट मैजर इम्पोज करना और कुछ कम्पलशन लाना, इसमें बहुत डिग्री का फर्क है। महोदय, मैं 1992 में चाईना गया था और 15 दिनों के टूर में वहां की 3 स्टेटस में गया और बहुत बारीकी से कंट्रोल की बात समझी। वहां पर मैंने इंसेंटिव भी देखे और डिसइंसेंटिव भी देखे, मास मूवमेंट भी देखी और एग्रीक्लचरल मार्केटिंग भी देखी। वहां पर अगर कोई एग्रीक्लचरिस्ट है और उसके पास एक बच्चा है और उसने भी स्ट्रलाइजेशन कराया हुआ है। "आब्जेक्ट्स फार स्ट्रलाइजेशन", वहां ऐसा प्रोविजन है। उसको जो कुछ मार्केटिंग में मिलता है, उसके ऊपर 3 परसेंट, 4 परसेंट और 5 परसेंट और मिलता है। अगर उसके दो बच्चे हैं और वह बाद में ऑपरेशन कराता है तो he is not getting anything. On the contrary कुछ डिसइन्सेंटिव है।

[**उपसभापति महोदया** पीठासीन हुईं]

अगर एक बच्चे के बाद वह स्टर्लाइजेशन अडोप्ट करता है, तो उसको नौकरी में, सर्विस में, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, सैमी गवर्नमेंट हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, को-ऑपरेटिव हो, प्राइवेट सर्विस हो, " आफ्टर वन चाइल्ड" ऑपरेशन के बाद, उसको इन्क्रीमेंट दी जाती है।

ऐसे केसस में प्रमोशन मिलती है, उसके बच्चों के लिए हाई स्कूल तक एजुकेशन - टेक्नीकल एजुकेशन आदि की फेसिलिटी मिलती है । माननीय सुरेश जी ने भी कहा कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट या दूसरे सर्वेंट हों और उनके दो से ज्यादा बच्चे हों तो उनकी इन्क्रिमेंट रोक दी जाए, प्रमोशन रोक दी जाए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर इस देश में पोपुलेशन रोकनी है तो there must be a political will, a social will, a strong will and dynamic measures are to be taken by the Government, the society and the non-Government bodies. आप देखेंगे कि यहां हेल्थ कार्ड और हैल्थ

रिकार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने चीन में देखा है। यद्यपि वहां पोपुलेशन ज्यादा है लेकिन हर फेमिली के लिए एक कार्ड की व्यवस्था है जिसमें कितने बच्चे हैं, बच्चा कब पैदा हुआ, स्टर्लाइजेशन ऑपरेशन किया गया है या नहीं, इन्क्रिमेंट मिली या नहीं आदि का रिकार्ड होता है। इसका हॉस्पिटल में भी रिकार्ड रहता है। लेकिन यहां क्या है? हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट सर्वेट्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हो और तो कुछ नहीं है यहां। Dynamic measures should be taken by the Government.

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी में एक्शन प्लान ला रही है। हम कुछ इन्सेन्टिव्ज भी ले रहे हैं। लेकिन ये इन्सेन्टिव्ज तो हम 1992 से ले रहे हैं। जो इन्सेन्टिव्ज देने हैं वे एक फैमिली में उन फादर, मदर को देने चाहिए जो गवर्नमेंट की नीति के मुताबिक स्टर्लाइजेशन अडोप्ट करे। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत, तालुका पंचायत भी इसका कम्पेन करती हैं। ये अपने इन्सेन्टिव्ज देती हैं। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, विलेज लेवल पर भी कमीशन है। ये कमीशन, ये बॉडीज जितनी चाहें बन जाएंगी, करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाएंगे लेकिन अगर फेमिली को एक यूनिट बनाकर खर्च करें तो मैं समझता हूं कि इसके परिणाम अच्छे आएंगे। यहां बहुत बातें हुईं। दुनिया में हमारी पोपुलेशन 16 परसेंट है और जमीन 2.5 परसेंट है लेकिन मैं समझता हूं कि यहां मीन्स ऑफ लाइवलिहुड लिमिटिड हैं। यहां अवेयरनेस चाहिए, प्रचार चाहिए, एन.जी.ओज. आगे आएं। लेकिन देखा गया है कि इतने वर्षों के बाद भी We are repeating the same policies, we are repeating the same programmes. So, I fear we will not succeed.

उपसभापति : हो गया आपका भाषण। और बोलना है आपको?

SHRI BACHANI LEKHRAJ: I do not want to take the time of the House but I request the House and the Government that if you simply rely on voluntary measures, then, we have to go 40 or 50 years back from this moment, on this attempt, on this programme. We will fail in our mission. Therefore, I submit that Government must come with a strong will and create much more awareness so that together with compulsions, incentives and disincentives we must have some persuasive way in which legislation maybe made.

Everybody, whether he may be educated or uneducated, whether he may be lagging in this movement or not, must create a mass movement so that the people co-operate with us. In China, it took twenty years for creating this mass movement and it succeeded by 1990 or so in controlling the population. When I went to China, I found their growth rate, was from zero per cent to hardly .5 per cent. I would not take much time of the House. I have got so many quotations from newspapers and other reports where it has been mentioned that we have got no alternative. As I submitted earlier, the alternative is this. Together with our national policy,

which is very nice and together with our action plans, we must have some political will, we must have dynamic measures and we must have persuasive and effective legislation so that the people may come forward and join with the National Population Policy declared by the Government. Thank you.

उपसभापति : हमारे हाउस के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसा रेजोल्यूशन हम लोग लाए हैं, पापुलेशन पर। यह एक बहुत गंभीर समस्या हमारे देश के सामने है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कमीशन बनाया है और वह खुद इसकी सदारत कर रहे हैं, खुद इसके चेयरमैन हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए कि देश में हम आज एक बिलियन हो गए हैं, शायद ज्यादा भी हो गए हों, उन्होंने बड़ा कमीशन बनाया है। यह भी खास बात है कि हमारे हाउस के मेंबर्स ने यह डिसीजन लिया, हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपनी, हाउस की यह ख्वाहिश जाहिर की हाउस में आकर अगर आप प्राइवेट मेंबर के इस रेजोल्यूशन के वक्त बोलेंगे तो इसका एक बहुत अच्छा मैसेज कंट्री में जाएगा और इसकी गंभीरता का लोगों को अहसास होगा। मुझे लगता है कि शायद पहली बार हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पर खुद, स्वयं आए हैं। आप आए, इसकी बहुत खुशी है। मगर आप एक गंभीर मामले पर बोलने के लिए आए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस मामले में हम सब एक राय हैं कि हमें अपने रिर्सोसेज को देखते हुए हमें अपनी संख्या को रोकना चाहिए, आबादी को रोकना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगी कि आप अपना जो मैसेज देश को देना चाहते हैं, हमारे इस प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के जरिए पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या पर अब दोनों सदनों में चर्चा होने लगी है । परिस्थितियों के कारण कुछ दिन तो यह चर्चा छेड़ने में संकोच होता था लेकिन विषय का महत्व स्पष्ट है और मुझे प्रसन्नता है कि अब निजी प्रस्तावों द्वारा, विधेयकों द्वारा- मुझे बताया गया है कि एक प्रबुद्ध मेंबर श्री शुक्ल एक विधेयक लाए हैं, उस पर आगे चर्चा होगी। इसमें इंसेटिव के साथ साथ डिसइंसेटिव का भी उल्लेख है। इस विषय पर खुली चर्चा होने लगी है, गंभीर चर्चा होने लगी है, यह बहुत अच्छा है। हमारा लोकतंत्रवादी देश है। जो भी फैसले होंगे, लोकतंत्र के अनुसार होंगे, लोगों की इच्छा के अनुसार होंगे। लेकिन सचमुच में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गम्भीर चिंता का विषय है। यह कहना सरल है कि भगवान खाने के लिए एक मुंह देता है तो उस मुंह को भरने के लिए दो हाथ भी देता है। हाथों का उपयोग हम करें, हाथ भी निठ्ठले न रहने पाएं लेकिन जहां तक परिवार का संबंध है, छोटा परिवार समृद्धि के लिए आवश्यक हो गया है। धीरे धीरे यह संदेश गांवों में पहुंच रहा है, बिना प्रचार के पंहुच रहा है। अगर थोड़ा सा भी हम जनमत बनाएं और अधिक अनुकूल परिस्थिति पैदा करें तो कई राज्यों में ऐसी सफलता मिली है, उनकी जनसंख्या नियंत्रण में आ रही है, सारे देश में इस तरह की परिस्थिति पैदा करना असंभव नहीं होना चाहिये। इसीलिए एक कमीशन का गठन किया गया है, एक फंड का निर्माण किया गया है और राज्य सरकारों की सहायता से, यह विषय प्रदेशों के अधीन है, हम एक जन-आन्दोलन चलाना चाहते हैं जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण भाग होगा। देश में एक हवा बने, दबाव डालने की जरूरत न पड़े और अगर दबाव की नीति भी अपनानी है तो दबाव बहुत थोड़ा सा दबाव हो, प्यार से दबाव हो, लगे न कि दबाव हो रहा है। लेकिन बात लोगों के दिमाग पर, दिल पर छा जाए कि हमें छोटा परिवार बनाना है क्योंकि समृद्धि के साथ वह जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं देश में समृद्धि हो। 100 करोड़ की

आबादी को हम संतुष्ट रख सकें, हर एक नागरिक की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, इस दृष्टि से आवश्यक है कि इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। इसलिए प्राइमरी शिक्षा पर ज़ोर दिया जा रहा है। इतना ज़ोर देने के बाद भी प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिये, नहीं मिल रही है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, इससे शिशु मृत्यु की दर घट गई है, इससे भी परिवार नियंत्रण में सहायता मिलती है लेकिन जितनी दर घटनी चाहिये, उतनी नहीं घटी है। गांव में जच्चा और बच्चा की देखभाल के जैसे प्रबंध हम चाहते हैं, जैसे प्रबंध होने चाहियें, वैसे प्रबंध नहीं हैं। परिवार नियोजन केवल जनसंख्या को रोकने का ही नाम नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य, सब के लिए स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर को और घटाना और गर्भावस्था में माताओं को अच्छा भोजन मिल सके, जन्म के बाद और जन्म के पहले ही शिशु को पोषक आहार मिल सके, इसका प्रबंध करना, यह सारी बातें इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों के सहयोग से और सब संसद् सदस्यों के प्रयत्नों से इसमें सफलता मिलेगी। जो सदस्य विधेयक लाये हैं या प्रस्ताव लाये हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मैंने देखा कि सभी दलों के सदस्यों ने भाषण किये, इसमें पार्टी का सवाल नहीं रहा। इस समय श्रीमती शबाना आज़मी नहीं हैं। यहां तक कि हमारे कानुपर के सदस्य नरेन्द्र मोहन जी का नाम ले कर के शबाना जी ने कहा कि मैं नरेन्द्र मोहन जी से कभी सहमत नहीं होती हूं मगर एक मुद्दा ऐसा है कि मैं नरेन्द्र मोहन जी का भी समर्थन करने के लिए तैयार हूं। अगर शबाना जी इस हद तक जा सकती हैं तो फिर आप समझिये कि यह विषय कितना दूरगामी है और कितना महत्वपूर्ण है। सब दल मिल कर, सब संसद् सदस्य इकट्ठे हो कर देश में वातावरण बनाएं तो मुझे लगता है कि इस अभियान में जरूर सफलता मिलेगी। जो काम हम पिछले वर्षों में नहीं कर सके, वह आने वाले कुछ वर्षों में कर के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

सदन के नेता (श्री जसवंत सिंह) : उपसभापति महोदया, मैं आपकी इजाजत से एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसे आपने भी उल्लेख किया, मेरी जानकारी के मुताबिक शायद यह पहला अवसर है कि एक प्राइवेट मैम्बर रेज़ोलूशन पर भारत के प्रधानमंत्री इंटरवीन कर रहे हैं । मुझे याद नहीं आता है इससे पहले कभी ऐसा अवसर आया हो । यह अपने आप में इस बात का परिचायक है कि सभी - केवल अटलजी ही नहीं, माननीय प्रधान मंत्री जी ही नहीं, सभी और माननीय प्रधान मंत्री जी भी इस बात को, विषय की गंभीरता को पहचानकर आए हैं और सभी लोगों की सहमति को पहचान करके सबकी आवाज में भारत के प्रधान मंत्री की आवाज का सहारा देने आए हैं। यह विषय इतना गंभीर, इतना महत्वपूर्ण है कि मेरी समूचे सदन से प्रार्थना होगी कि इस विषय को अगले सत्र के लिए आपकी अनुमति से रखा जाए और इस पर आगे चर्चा चले ताकि हम इस पर आम सहमति और जैसे एक प्रकार से इसको कार्य में परिणित करने का जो प्रयोजन करना चाहते हैं वह हम हासिल कर सकें। आपकी अनुमति हो तो मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा।

उपसभापति : अब सदन को ...**(व्यवधान)** I wanted to add something. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): I would like to respectfully submit that we can conclude this Resolution, but on the Population Policy itself we can have a discussion. I understand that a private Member has moved another Bill. We can discuss that Bill. But the normal practice is that the Resolution does not spill over to the next Session. It was done

only once. I do feel that, after the Prime Minister's observations, the hon. Minister can reply to the debate, and, after that, I request the Member to withdraw the Resolution as per the normal practice, and we can close it. So far as this Resolution is concerned, in the next Session we can have a discussion on this subject in different forms. But let us not make a departure from the practice. And with the observations of the Prime Minister, I think, we can conclude the discussion in time because technically the Minister is to reply and time is running out. This is my submission for the consideration of the Leader of the House and the other Members of the House.

उपसभापति : आप रिप्लाई कर दीजिए। जैसे इन्होंने कहा है ...(व्यवधान)... एक मिनट। आप रिप्लाई कर दीजिए फिर हमारे जो मिस्टर राममुनी रेड्डी साहब हैं जिनका यह रिजोल्यूशन है वे बोलकर इसको विदड्रा कर लेंगे। मगर रिजोल्यूशन विदड्रा करने का यह मकसद नहीं है कि हम अपनी पालिसी से विदड्रा कर रहे हैं। वे इस आश्वासन पर विदड्रा कर रहे हैं कि स्वयं प्रधान मंत्री जी यहां आए और यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और आज के सेशन में एक प्रायवेट मेम्बर का बिल भी है मिस्टर शुक्ला का और उसके अलावा हम इस पर एक चर्चा भी करेंगे जैसा कि प्रणब मुखर्जी जी ने कहा और हमारे लीडर आफ द हाउस ने कहा कि इस पर गंभीर तौर पर एक चर्चा करके कोई कार्यक्रम बनाएंगे ताकि कैसे मेम्बर आफ पार्लियामेंट मदद कर सकें सरकार के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए।

आप बोल दीजिए तो फिर मैं उन्हें बुला लूंगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): मैडम, डिप्टी चेयरमैन, विषय इतना गंभीर है कि पार्लियामेंट शुरू होने के पहले भी प्रधान मंत्री जी ने पापूलेशन कमीशन में दो दिन पहले भाषण दिया। 15 अगस्त को लाल किले से भी प्रधान मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की और आज जब पार्लियामेंट का समापन हो रहा है - वह हाउस तो समाप्त हो गया है लोअर हाउस जो है - इस सत्र का जो समापन हो रहा है फिर प्रधान मंत्री जी ने इसका समापन किया, तो उस गंभीरता से ही हम लोग तो इस पर काम करेंगे ही जैसे कि प्रधान मंत्री जी ने चिंता की है। हम रेड्डी साहब से यह निवेदन करेंगे कि जो उनका यह सुझाव है वह बहुत अच्छा है लेकिन इतना जो हम आश्वासन दे रहे हैं तो इस रिजोल्यूशन को वे वापस ले लें। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rama Muni Reddy. You can speak; you say a few words; you can ask for any commitment, and then you may withdraw it.

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY (Andhra Pradesh) : Madam, I am thankful to all the Members who have participated in this discussion. The Resolution I have moved has generated a very interesting discussion. Members have raised some thought-provoking issues. And many important

and valuable suggestions have been made. I am happy to say that the Prime Minister also felt it necessary that the issue needs to be addressed.

The general consensus is that the implementation of the Family Planning programme has totally failed. Our economic growth is being adversely affected by the burgeoning population growth. Members have laid stress on the development aspect. Some Members have laid importance on improving the health conditions, and others have laid stress on strengthening the implementation aspect. I agree with the view of Mrs. Shabana Azmi that when it comes to women and their health, nobody makes it an emotive issue. It is true that health and particularly women's health, has to be put on the agenda. We have to make simultaneous investment in the social sector. I do not mean to say that we have not invested in the social sector. The investment made is both insufficient and directionless. Some Members laid stress on removal of the poverty and the illiteracy. Removal of the illiteracy is a major factor that can play a catalytic role in stabilising the population growth. Kerala has set the best example in this regard, and all other States should take a cue from Kerala.

I also agree with the view of Shri Fali S. Nariman that for achieving the ultimate goal of population stabilisation, we have to achieve the goal of total literacy, health for all and female empowerment. I also agree with Mr. Virumbi's suggestion that there should be creation of awareness amongst the women. The Government should consider all the suggestions made by the Members with all seriousness.

The Government have announced the National Population Policy recently. Many Members have taken this Resolution as the right opportunity to discuss the policy. An interesting discussion has taken place on the policy. I am thankful to all the Members who have participated in the discussion, particularly, Shrimati Sarla Maheshwari, Mr. Virumbi, Shri Suresh Pachouri and Shri Lekhraj and all other Members.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All those Members who spoke; all those Members who could not speak; all those Members in the list and all those Members sitting in the House have supported it.

SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY: Yes. I am especially very thankful to the hon. Prime Minister for his message to the nation on this Policy, particularly, on this Private Members' Business and I am also

thankful to the Chair. I also take this opportunity to mention that Bangladesh, which became independent 25 years later than India, has been able to reduce the growth rate considerably. India should take a cue from Bangladesh in this regard. I also take this opportunity to mention about the 79th Constitution amendment Bill. This Bill provides an opportunity to the representatives of the people, both in Parliament and State Legislatures, to show themselves as role models. The Government should consider the recommendations of the Standing Committee on HRD. Extensive discussion should be held with all parties and a consensus should be arrived at as early as possible.

Since every Member agrees with my resolution and the Government is also in agreement with the proposals I have made in the Resolution, I request the Minister to accept the Resolution as per the Prime Minister's assurance. I am withdrawing my Resolution. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, very much. Does he have the leave of the House to withdraw the Resolution, under the assurances?

The Resolution was, by leave, withdrawn

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, as we still have some time out of the Private Members' Business, Shri V.V. Raghavan wants to read out his Resolution and then he would withdraw it. He will take only one minute. Mr. Raghavan, please don't make a long speech because today is the last day and everybody has to catch his train or plane.

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala): Madam, I will take only two minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

Privatisation and Corporatisation of Telecom Sector

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala): Hon. Deputy Chairperson, first of all, I move the following Resolution.

"Having regard to the fact that Government's decision to corporatise the Department of Telecom Services (DTS) and consequent disinvestment of MTNL and DTS; and to privatise long distance telephone services will have its detrimental effects:-